बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2024

अधिसूचना

संख्या–08 / नियम संशोधन(सर्वे0)–03–09 / 2024–....635....(8) / रा0, दिनांक–....04/12/24

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्संबंधी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह नियमावली ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2024'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–06 का उप नियम–(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''स्वघोषणा नियम–4(1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 180 कार्य दिवसों के भीतर अथवा किस्तवार का कार्य समाप्त किये जाने के पूर्व तक, दोनों में से जो पहले हो, रैयतों द्वारा स्वघोषणा समर्पित किया जा सकेगा।''

3. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–7 का उप नियम–(5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन, मानचित्र प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य दिवसों से अनाधिक अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा। तथापि, ग्रामों में खेसरों की संख्या अधिक होने पर यह अवधि बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा 90 कार्य दिवसों तक विस्तारित की जा सकेगी।''

4. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–9 का उप नियम–4(घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''खानापुरी पर्चा से सन्बन्धित सूचना रैयतों को प्राप्त होने के उपरान्त इसकी प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रपत्र–8 में दावा/आक्षेप रैयत द्वारा अधिकतम 30 दिनों में सम्बन्धित पदाधिकारी को समर्पित किया जा सकेगा।''

5. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–10 का उप नियम–(3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दावों/आक्षेपों का निपटारा संक्षिप्त रीति से दावों/आक्षेपों के दायर होने की तिथि से अधिकतम 60 कार्य दिवस के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करके किया जाएगा।

परन्तु, यदि दावे/आक्षेप सरकारी/लोक भूमि के संबंध में दायर किये गये हो तो उनकी सुनवाई एवं निपटारा सहायक बन्दोबस्त

पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।''

6. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम–15 का उप नियम–(3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–11(1) के अधीन अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा उसके भाग में हित रखता हो, ''प्रपत्र–21'' में सम्बन्धित एक या एक से अधिक अधिसूचित पदाधिकारी के समक्ष दावा/आक्षेप दायर कर सकेगा।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

Government of Bihar
Revenue and Land Reforms Department.

The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2024

Notification

No.-08/Niyam Sanshodhan (Survey)-03-09/2024-..635...(8)/Ra. Dated.- 04/12/24

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011) (as amended from time to time), the State Government hereby makes the following Amendment Rules to amend the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012:-

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called "The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2024."

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It Shall come into force with immediate effect.

2. Sub-rule (2) of Rule 6 the Bihar Special Survey and Settlement (as Amended) Rules, 2012 Shall be substituted by the following:-

"Under rule-4(1), the self declaration may be submitted by the raiyats within 180 working days from the date of proclamation or before the completion of kistwar, whichever is earlier."

3. Sub-rule (5) of rule 7 of the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012 shall be substituted by the following:-

"The verification of the map of revenue village shall be completed within a period not exceeding 30 working days from the date of the receipt of the map. In case the number of plots is higher in a village, then the Settlement officer shall have the discretion to extend this period upto a maximum of 90 working days."

4. Sub-rule-4(d) of rule 9 of the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012 shall be substituted by the following:-

"After receipt of information related to Khanapuri Parcha, concerned raiyat shall file has claims/ objections against the entries in Form-8 within maximum of 30 days."

5. Sub-rule 3 of rule 10 of the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012 shall be substituted by the following:-

"Claims/ objections shall be disposed off in a summary mamer by the Kanoongo/ Circle inspector/ Assistant Consolidation Officer by passing a reasoned order, within a Maximum period of 60 working days of the filing of such Claims/ Objections.

Provided that if the claims/objections filed pertain to Government/Public Land, the same shall be heard and disposed off by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer/Circle Officer/Consolidation Officer."

6. Sub-rule 3 of rule 15 of the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012 shall be substituted by the following:-

"Any person who has an interest in any land or a part thereof may file Claims/ Objections within 90 days from the date of final the date of final publication under section-11(1) of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011, before one or more than one notified officer concerned in Form-21"

By order of the Governor of Bihar,

Additional Chief Secretary.